ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, *RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14 Vol.-I, No.-1*, **PP-78-81**, *YEAR 2014*

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

❑ डा. हर्ष कुमार श्रीवास्तव*

भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992–93 द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इसकी सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि पंचायत के तीन स्तरों पर समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी जो निश्चित रूप से युगांतकारी है। क्यों कि भारतीय सामाजिक परिवेश मे यही वर्ग सर्वाधिक शोषण, वंचनाओं एवं वर्जनाओं तथा उपेक्षाओं का शिकार रहा है। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। परन्तु हमारे सामाजिक ढाचें में महिलाओ की स्थिति अधिक अच्छी नहीं रही है, उन्हें समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक परिवारिक इत्यादी स्तरों पर अनेकों अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। कई सारे निर्योग्यताओं का सामना भी करना पड़ा है। फलस्वरूप आज भी ग्रामीण महिलाएं संकोच एवं कुण्ठा से ग्रस्त है। यद्यपि संवैधानिक तौर पर उन्हें पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी दबी हुई मानसिकता, निर्भरता की प्रवृत्ति, महिलाओं के प्रति परम्परावादी सामाजिक सोच, पुरूषवादी मानसिकता, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि के कारण अभी भी पंचायतों में पुरूषों का वर्चस्व बना हुआ है।

इस प्रकार पंचायतों ने महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनाने एवं उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए किये जाने वाले तमाम सरकारी एवं कानूनी प्रयास तभी कारगर सि़द्ध हो सकते हैं जब समाज की सम्पूर्ण सोच, रवैया, पूर्वाग्रह एवं मान्यताओं में भी बदलाव लाया जाय, और इसके लिए जब तक महिलाएं स्वयं आगे नहीं आएंगी वे जागरूक नहीं होंगी उनमे शिक्षा एवं नेतृत्व क्षमता नहीं विकसित होगी, वें अपनी सक्रिय सहभागिता नहीं निभाएंगी तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। इस सन्दर्भ मे पं0 जवाहर लाल नेहरू का कथन उपयुक्त है कि ''यदि जनता मे जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो।'' महिला किसी भी देश की सामाजिक चेतना है। स्वतंतत्रता से पूर्व और पश्चात भारत देश में शिक्षा प्रसार तथा सामाजिक, आर्थिक समानता प्रदान करने व उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए शासकीय व स्वैच्छिक संस्थाओ द्वारा प्रयास किये जाने के बावजूद भी अशिक्षित व पराधीन होने के कारण स्त्रियों की निम्न स्थिति बनी हुई है। बच्चों के समुचित विकास करने, सुसंस्कृत करने व संस्कारित करने में व समाज के संतुलित विकास मे महिलाओ की महत्वपुर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य को लेकर वर्ष 1964 में सामाजिक कल्याण मंत्रालय बनाया गया जिसे 1979 में एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 10 वर्ष 1984 के सामान्य चुनाव के बाद नई सरकार बनने बाद समाज कल्याण विभाग का पुनः नामकरण समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के रूप मे दिया गया। विभाग यें दो ब्यूरों है – पौष्टिक भोजन और बाल विकास, महिला कल्याण और विकास, महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक योजनायें प्रशिक्षण तथा सेवा नियोजन योजनाएं, प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा विभिन्न पाठयक्रम आदि वे प्रयास है जिनके द्वारा महिलाओ को आर्थिक स्वतन्त्रता ही नहीं अपितु उनके जीवन की गुणवत्ता को भी उठाया जायेगा। वर्ष 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष व वर्ष 1975–85 तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक बनाया गया। इसके अर्न्तगत महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर उनकी समस्याओं व संचालन

*असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग) लाल बहादुर शास्त्री पी0 जी0 कालेज, मुगलसराय, चन्दौली, उ0प्र0

करने के लिए 15 अगस्त 1986 को महिला एवं विकास संचालनालय का गठन किया गया। प्रारम्भ मे यह विभाग पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अर्न्तगत था, बाद मे इसके महत्व को देखते हुए वर्ष 1988 मे पृथक से ''महिला एवं बाल विकास विभाग'' का गठन किया गया।

वास्तव मे पंचायती राज व्यवस्था केवल वर्तमान प्रशासन तंत्र का केन्द्र अथवा राज्य से गांव तक का विस्तार ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता, न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन का नया क्लेवर देने का एक सामूहिक प्रयास भी है। लोकतंत्र का लक्ष्य यदि लोगों के द्वारा लोकहित मे शासन मे सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी लोकतत्रं का एक अनिवार्य एवं आवश्यक शर्त है। यद्यपि संविधान ने समाज के पिछड़ों, दलितों एवं महिलाओं के लिए अवसर के द्वारा पहले से ही खोल रखे हैं। परन्तु सामाजिक असमानता एवं विद्धेश की भावना ने इन अवसरों को घेर रखा है, जो एक दुर्भाग्य पुर्ण विरासत है। अतः इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता महसूस की गयी ताकि सामाजिक बंदिशें समाप्त हो जाय और समाज का यह वंचित वर्ग देश के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने मे सफल हो सकें।

संविधान ने समाज के पिछड़ों एवं महिलाओ के लिए अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। परन्तु सामाजिक असमानता एवं विद्वेश की भावना ने इन अवसरों को प्राप्त करने में अनेक बाधायें उत्पन्न की है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता महसूस की गयी, ताकि सामाजिक बंदिशें समाप्त हो और समाज का यह वंचित वर्ग देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन मे पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने में सफल हो सके। चूंकि भारतीय समाज प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित समाज है इसलिए भारतीय प्रजातंत्र में महिलाओं की सहभागिता प्रजातांत्रिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एवं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को सक्रिय रूप से सहभागी बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है और यह कदम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं सहभागी बनाने के लिए भी आवश्यक है।

भारत वर्ष में पंचायतों की व्यवस्था यद्यपि बहुत पहले से चली आ रही है लेकिन उनमें महिलाओ की सहभागिता लगभग नगण्य थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी पंचायतों मे महिलाओं को सामान्यतः चुनाव के बजाय मनोनीत करके प्रतिनिधित्व दिया गया था जिसके कारण देश की लगभग आधी आबादी की इन संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी नहीं हो पा रही थी। महिला प्रतिनिधियों के साथ धीरे–धीरे महिलाओं की भूमिका स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को ग्रहण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार तथा प्रसार आवश्यक है जिसमे व्यवस्था से अपेक्षित लाभ प्राप्त किया जा सके। शिक्षा समाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। जहां तक महिलाओं मे साक्षरता की कमी का प्रश्न है इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा उन्हें शिक्षित किया जा सकता है ताकि वें अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके। इसके लिए सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं की सहायता से लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन साक्षरता दर बढ़ाने के साथ–साथ ग्रामीण शिक्षा की अवधारण का विकास किये जाने की भी आवश्यकता है। शिक्षा केवल अक्षरज्ञान तक सीमित अथवा किताबी न हो वरन् उसमें भौगोलिक, पर्यावरणीय विशिष्टता तथा जैव विविधता के संरक्षण की अवधारणा का भी प्रचार किया जा सकता है। महिलाओं के शिक्षित होने की स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने मे कठिनाइयां कम होंगी तथा महिलाओं की शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

महिला सहभागिता के आधार को व्यापक बनाने तथा उसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए महिलाओं को आर्थिक आधार पर भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए आर्थिक रूप से संगठित होना भी आवश्यक है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह तथा महिला मण्डल द्वारा महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती है।

व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण भी आवश्यक है। जब तक महिलाओं को सम्पूर्ण व्यवस्था की जानकारी भली प्रकार नहीं होगी तब तक वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं होंगी। पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय–समय पर नये कार्यक्रमों की जानकारी तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितने संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। आवश्यक जानकारियों के अभाव में महिलायें आत्मनिर्णय नहीं ले पाती हैं। पंचायतों की कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रमों पर मीडिया तथा पत्र–पत्रिकाओं में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर अधिकार देने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों तथा महिला प्रतिनिधियों के मध्य अच्छे संबंधो का होना आवश्यक है। नौकरशाही को एकाधिकारवादी रवैया छोड़कर जनसेवक की भूमिका में आना होगा। केवल कानून निर्माण अथवा आरक्षण की सुरक्षा प्रदान करने से ही शक्ति जनता के हाथ में नहीं पहुंचती, महिला प्रतिनिधियों को अधिकारों, शक्तियों तथा कर्तव्यों की जानकारी देना चाहिए। आरक्षण लागू होने के पश्चात् कई लोगों का यह मानना था कि यह स्थिति ''नाम महिला का काम पुरूष का'' होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि आमतौर पर नापसंद किये जाने के बावजूद अगर यह आरक्षण लागू हो गया है तो प्रारम्भिक समस्याओं के बाद महिलायें धीरे–धीरे अपना काम स्वतः करने लगेंगी। महिलाओं की भागीदारी को पुख्ता किये बिना सामाजिक बदलाव की कल्पना नहीं हो सकती है।

इस प्रकार अभी महिलाओं के समक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करने में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, लेकिन इस व्यवस्था से एक नई चेतना का संचार हुआ है। धीरे–धीरे व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य होगा। इससे संपूर्ण जनता की भागीदारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर होगी। पंचायती राज संस्थाओं के साथ महिलाओं का जुड़ना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नेतृत्व को सफल बनाने के लिए महिला प्रतिनिधियों को भी विकास के प्रति समर्पित होना पड़ेगा तथा स्वंय में जागरूकता, स्वनिर्णय तथा स्वावलम्बन के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाज के लिए तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए इस व्यवस्था को जनता का पूर्ण सहयोग मिलना अत्यंत आवश्यक है।

यह न केवल सरकार वरन् समाज का भी दायित्व है कि महिलाओं को इन जिम्मेदारियों को वहन करने के योग्य बनायें क्यों कि हमारी सामाजिक व्यवस्था तथा ढांचे के कारण महिलायें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सामाजिक मान्यताओं में बदलाव आवश्यक है। जिन लोगों का विकास हो रहा है उनकी विकास के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। सामाजिक परम्पराओं, दृष्टिकोण एवं मूल्यों में बदलाव के साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्वयं महिलाओं को अपने अस्तित्व एवं स्थिति के प्रति जागरूक होना पड़ेगा तथा अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना होगा तभी महिलाओं का सक्रिय योगदान सम्भव हो सकेगा।

स्वतंत्रता के बाद संविधान में महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकारों की स्थापना की गयी। 1959 में तीन स्तरीय पचांयती राज व्यवस्था लागू की गई जिसके अनुसार ग्रामीण शक्ति संरचना एवं विकास में हिस्सेदारी एवं सहभागिता के अवसर सभी के लिए खुल गये। कुछ क्षेत्रों जैसे जाति आधारित शक्ति संरचना में इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाये गये। संख्याबल एवं ''वयस्क मताधिकार'' के कारण निम्न जातियां भी ग्रामीण शक्ति–संरचना में स्थान बनाने में सफल रहीं। लेकिन समाज की आधी आबादी–महिला अभी भी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बाधाओ के कारण अपना स्थान नहीं बना

सकी हैं। महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता व उन्हें अधिक अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय शासन (पंचायती राज) की प्रतिनिधि संस्थाओ में उनको विशेष और अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जाये। इस दिशा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एक क्रान्तिकारी कदम है, जो महिलाओं को समान राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने के साथ–साथ ग्रामीण शक्ति संरचना में नीति–निर्माण, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया व कियान्वयन में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 243–घ(3) के अनुसार ''प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानो की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आंवटित किये जा सकेंगे। ''इस संविधान संशोधन के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को अस्तित्व मे आया जिसके अनुसार तीन स्तर की संस्थाओ का नाम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत रखा गया। इसी के अनुरूप ग्राम स्तर पर प्रधान, क्षेत्र स्तर पर प्रमुख और जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार यह क्रान्तिकारी संशोधन अधिनियम महिलाओं को शक्ति संरचना र्निणय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर प्रदान करता है और महिला सशक्तिकरण की धारणा को मजबूत करता है।

अध्ययन मे पाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओ के माध्यम से उपलब्ध अवसरों द्वारा महिलाओं की कार्यक्षमता में बदलाव आया है, कार्य के प्रति गम्भीरता और अपने विचारों को रखने की क्षमता बढ़ी है। परिवार व गांव मे सम्मान बढ़ा है। राजनीतिक जागरूकता में बढ़ोत्तरी हुई है। जिन महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर सोचने व काम करने का अवसर नहीं मिलता था, आज बुजुर्गों के सामने अपनी राय तक जाहिर नहीं कर सकती थी। आज वें ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करती है और निर्णय लेती हैं। यह सही है कि पहली बार राजनीति में प्रवेश के शुरू के कुछ दिनों तक वे प्रतीकात्मक भूमिका में रही हैं लेकिन कुछ समय बाद वह निर्णय लेने का आत्मविश्वास पा लेती है और उनकी ग्राम पंचायतों में संख्यात्मक सहभागिता धीरे–धीरे गुणात्मक सहभागिता में बदल रही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के लक्ष्य महिला–सशक्तिकरण के कदम प्रगति पर हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनयिम 1992।
2. मनिकीम्बा पी. वुमेन इन पंचायती राज– प्रेमिसस एण्ड परफोरमेन्सिस, टीचिंग, पॉलिटिक्स वोल्यूम 14 (3–4)1989।
3. आर. पी. जोशी तथा मंगलानी भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,।
4. अवध नारायण दुबे– नई पंचायतीराज व्यवस्था, मिश्रा ट्रेडिंग, वाराणसी।
5. सूर्यभान सिंह – ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2005 (पत्रिका)।
6. विपिन कुमार सोनी– पंचायत प्रतिनिधियों में समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता, कुरूक्षेत्र जून 2001, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली (पत्रिका)।
7. राजू एम, पंचायती राज इन केरला : प्राब्लम्बस एण्ड प्रास्पेक्टस कुरूक्षेत्र अप्रैल 1998 पेज 70, 71।
8. हजल डी. लामा, वोमेन इन लोकल गवर्नमेंट : ए. स्टडी ऑफ महाराष्ट्र कान्सेप्ट पाब्लिकेशन, नई दिल्ली 1983।
9. कु. रंजना दुबे, अंजू वोमेन पार्लियामेंट, हर आनंद पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1994।
10. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड इरिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलमेंट कमेटी आन पंचायती इन्स्टीट्यूशन, रिपोर्ट अशोक मेहता, लीडर, नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया प्रेस 1978।
11. कमेटी आन प्लान स्टडी फार कम्यूनिटी डेवलपमेंट एण्ड नेशनल इक्सटेशन सर्विस रिपोर्ट, बलवन्त राय मेहता, नई दिल्ली प्लानिंग कमीशन, 1957।